फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती सोसर बाई — बनाम — विपक्षी : श्री कन्ना उर्फ किशनलाल

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम — पत्रावली संख्या : 102/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 02.09.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थी संख्या 1 फाल होने से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 जा.दी. का पेश किया गया। शामिल फाईल रहे। विपक्षी संख्या 3 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देना चाहा। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित वारिसान का रकर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा वारिसान 1/1 से 1/7 की तरफ से वकालत पत्र पेश किया साथ ही संशोधित अनवान पेश किया गया। शामिल फाईल रहे। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की मौरूसी सम्पति होकर संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि है। प्रार्थीगण के मूल पुरूष श्री गणेश थे जिनके दो पुत्र क्रमश बागरू एवं कन्ना उर्फ किशन हुए एवं दो पुत्रीया साहनी एवं सोसरी हुई। साहनी के फौत होने पर उनके वारिस उनके पुत्र वादी संख्या 2, 3 हैं। श्री गणेश लाल जी का स्वर्गवास आज से 40 वर्ष पुर्व हो चुका है। यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में स्वर्गीय गणेश जी के वारिस के रूप में प्रार्थीगण का नाम अंकित नहीं होकर विपक्षी संख्या 1, 2 का नाम ही अंकित हैं जबकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पति है। उक्त अंकन के आधार पर विपक्षीगण प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हैं जिससें प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया हमने पाया की प्रार्थी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया तथा उसी के साथ प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी द्वारा यह कथन कहना कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि पैतृक भूमि हैं ? इस कथन का मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा कथन कहा है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौरूसी सम्पति है जिसमें प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण का यह कहना है कि विपक्षी प्रार्थीगण को बेदखल करने आमादा है जिससे विपक्षी को पावन्द किया जाना उचित प्रतित होता है जिससें किसी प्रकार के मौका व रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सकें। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं। उपरोक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को पावन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससें किसी प्रकार के मौके व रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सकें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भोपाखेडा पटवार हल्का भोपाखेडा तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2051–54 की परिशिष्ट (क) की आराजी नम्बर 317 किता 01 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि व मौजा कुंथवास पटवार हल्का कुंथवास तहसील वल्लभनगर हाल तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2069–72 की परिशिष्ट (ख) की आराजी नम्बर 1111, 1112, 1136 किता 03 रकबा 18 बिस्वा भूमि में भू प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:41:29 IST
Reason: SelfAttested